

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-103/2017/3657/दो-2-2017-28/2(45)/2015

लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2017

आदेश

डा0 शेष नाथ सिंह, पी0सी0एस0-1999 ने अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-जी0ए0यू0-74469 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- डा0 शेष नाथ सिंह, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-217/42701/893/58582 दिनांक 12-09-2017 के अनुसार वर्ष 2014-2015 तक कुल जमा धनराशि रू0-17,20,980/- (रू0-सत्रह लाख बीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) जिस पर माह 3/2015 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-15,48,882/- (रू0-पन्द्रह लाख अड़तालिस हजार आठ सौ बयासी मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि डा0 शेष नाथ सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया डा0 शेष नाथ सिंह, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, सम्भल।
- 4- डा0 शेष नाथ सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0-पता-ए-42/23, सुलभ आवास, सेक्टर-आई, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226010

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।